न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

राजस्व वाद संख्या :– 1236 / 2024

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

रामधन **बनाम** **हनुमान आदि**

दावा बाबत् घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

वकील प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 :– उम्मेदराज सैनी व रविराज सिंगोदिया
वकील अप्रार्थी / वादीगण :– मदन सिंह गिल व राजवीर सिंह शेखावत

निर्णय

निर्णय दिनांक 09/10/2025

प्रतिवादीगण संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया गया कि वादी रामधन ने ग्राम सिंगनौर की सरहद के पुराने खसरा नम्बर 185 रकबा 15 बीघा 13 विश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89, 90 रकबा क्रमशः 0.0300 है0, 1.4200 है0, 2.4000 है0, 0.0700 है, 0.0500 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि को स्वर्गिय टीकूराम पुत्र बक्सा काश्त करता था और उसी के स्वामित्व में चली आई जिसके बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद चला आ रहा है और वर्तमान में उक्त भूमि वादी के कब्जे मे भी नहीं है। टीकूराम ने अपने जीवनकाल में स्वर्गिय ज्याना पुत्री टीकू के नाम दिनांक 21.10.1982 को जरिये रजिस्ट्रर्ड वसीयत करवा दी जिसमें वादी का दत्तक पिता स्वर्गिय गोपाल पुत्र बक्सा बतौर गवाह था। इस प्रकार से आज गोपाल का पुत्र रामधन उक्त वाद में वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि के बाबत् विवाद कर रहा है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि कभी भी वादी एवं इसके पिता व अन्य किसी के भी कब्जे काश्त में नहीं रही। उक्त भूमि तो सदैव से ही टीकू के कब्जे काश्त में चली आई है और वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे में है। श्रीमान् की अदालत में विचाराधीन वाद से पूर्व एक उनवानी दावा ईश्वर राम आदि बनाम रामधन वगैरह मुकदमा नम्बर 90 / 83 जिसके नये नम्बर 140 / 2002 में रामधन ने अपने जबाव में यह कथन किया कि विवादित भूमि बंटवारे में सम्वत् 2025 में टीकू के हिस्से में आई थी। उक्त जबाव दावा दिनांक 20.12.2003 का है और इसी प्रकार का साक्ष्य शपथ पत्र भी वादी द्वारा पेश किया गया कि श्योकोरी का देहान्त वर्ष 2012 में हो गया। इस कारण श्योकोरी की मृत्यु पर टीकू ने बक्सा की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर पुराने 185 रख ली थी और इस प्रकार वादी रामधन स्वयं सम्वत् 2012 के पूर्व से ही विवादित भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी के दत्तक पिता टीकू का मानता है जो वादी रामधन को स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत कथनों से कभी नहीं हट सकते। सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी के मुकदमा नम्बर 49 / 2013 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89 के बाबत् पेश किया। उक्त दावे में वादी रामधन ने जबाव पेश कर वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि प्रार्थी की मानी। इस प्रकार से वादी उक्त खसरा नम्बर की भूमि के बाबत् जो वाद लेकर श्रीमान् के समक्ष पेश हुआ है उस बाबत् वादी रामधन को कोई वादकारण ही पैदा नहीं होता है। वादी ने अपने वादपत्र की धारा 11 में लिखा है कि राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्रमाणित प्रति लेने पर अप्रैल, 2018 में हुई तथा वादी को 25.04.2018 को उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दिनांक 25.04.2018 को देने के कारण वादकारण पैदा हुआ जबकि वादी के दत्तक पिता स्वर्गिय गोपाल दिनांक 21.10.1982 को वादग्रस्त भूमि का स्वर्गिय टीकू द्वारा अपनी पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 ज्याना देवी को रजिस्ट्रर्ड वसीयत की उसमें गवाह था। इस प्रकार वादी को

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड का दिनांक 21.10.1982 से पता है तथा वादी द्वारा दावा ईश्वर आदि बनाम गोपाल वगैरह मुकदमा नम्बर 90/83 नये मुकदमा नम्बर 140/2002 दिनांक 20.12.2003 को अपने जबाव दावे में सम्वत् 2025 से विवादित भूमि पर प्रार्थी के पिता टीकू व प्रार्थी का कब्जा माना इस प्रकार से वादी ने जो वाद कारण उक्त दावे में अंकित किया है वह कानूनन वादी को कभी पैदा ही नहीं हुआ। वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि के बाबत् उसके खातेदार काश्तकार टीकू ने रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 21.10.1982 को करवा दी उक्त रजिस्ट्रर्ड वसीयत को आज तक किसी भी न्यायालय में वादी ने चुनौती नहीं दी है। इस कारण वादी को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ। अन्त मे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर वादी का दावा, वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 लगायत 6 गलत होने से अस्वीकार है। वाद कारण किसी एक बिन्दू से तय नहीं किया जा सकता। वादकारण Bundle Of Facts के आधार पर उत्पन्न होता है। वादी ने अपने दावा में जो तथ्य दर्ज किये है, उनका सार मद संख्या 11 में दिया गया है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रतिवादी को डिफेन्स पर विचार नहीं किया जा सकता। वादी ने वाद कारण के सब तथ्य अपने दावा में शामिल किये हैं। वादी का दावा वादकारण के अभाव में खारिज होने लायक नहीं है।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को स्वर्गिय टीकूराम पुत्र बक्सा काश्त करता था और उसी के स्वामित्व में चली आई जिसके बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद चला आ रहा है और वर्तमान में उक्त भूमि वादी के कब्जे मे भी नहीं है। टीकूराम ने अपने जीवनकाल में स्वर्गिय ज्याना पुत्री टीकू के नाम दिनांक 21.10.1982 को जरिये रजिस्ट्रर्ड वसीयत करवा दी जिसमें वादी का दत्तक पिता स्वर्गिय गोपाल पुत्र बक्सा बतौर गवाह था। इस प्रकार से आज गोपाल का पुत्र रामधन उक्त वाद में वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि के बाबत् विवाद कर रहा है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि कभी भी वादी एवं इसके पिता व अन्य किसी के भी कब्जे काश्त में नहीं रही। श्रीमान् की अदालत में विचाराधीन वाद से पूर्व एक उनवानी दावा ईश्वर राम आदि बनाम रामधन वगैरह मुकदमा नम्बर 90/83 जिसके नये नम्बर 140/2002 में रामधन ने अपने जबाव में यह कथन किया कि विवादित भूमि बंटवारे में सम्वत् 2025 में टीकू के हिस्से में आई थी। उक्त जबाव दावा दिनांक 20.12.2003 का है। वादी रामधन स्वयं सम्वत् 2012 के पूर्व से ही विवादित भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी के दत्तक पिता टीकू का मानता है जो वादी रामधन को स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत कथनों से कभी नहीं हट सकते। सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी के मुकदमा नम्बर 49/2013 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89 के बाबत् पेश किया। उक्त दावे में वादी रामधन ने जबाव पेश कर वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि प्रार्थी की मानी। इस प्रकार से वादी उक्त खसरा नम्बर की भूमि के बाबत् जो वाद लेकर श्रीमान् के समक्ष पेश हुआ है उस बाबत् वादी रामधन को कोई वादकारण ही पैदा नहीं होता है। वादी ने अपने वादपत्र की धारा 11 में लिखा है कि राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्रमाणित प्रति लेने पर अप्रैल, 2018 में हुई तथा वादी को 25.04.2018 को उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दिनांक 25.04.2018 को देने के कारण वादकारण पैदा हुआ जबकि वादी के दत्तक पिता स्वर्गिय गोपाल दिनांक 21.10.1982 को वादग्रस्त भूमि का स्वर्गिय टीकू द्वारा अपनी पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 ज्याना देवी को रजिस्ट्रर्ड वसीयत की उसमें गवाह था। इस प्रकार वादी को उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड का दिनांक 21.10.1982 से पता है तथा वादी द्वारा दावा ईश्वर आदि बनाम गोपाल वगैरह मुकदमा नम्बर 90/83 नये मुकदमा नम्बर 140/2002 दिनांक 20.12.2003 को अपने जबाव दावे में सम्वत् 2025 से विवादित भूमि पर प्रार्थी के पिता टीकू व प्रार्थी का कब्जा माना इस प्रकार से वादी ने जो वाद कारण उक्त दावे में अंकित किया है वह कानूनन वादी को कभी पैदा ही नहीं

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

। वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि के बाबत् उसके खातेदार काश्तकार टीकू ने रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 21.10.1982 को करवा दी उक्त रजिस्ट्रर्ड वसीयत को आज तक किसी भी न्यायालय में वादी ने चुनौती नहीं दी है। इस कारण वादी को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ। अतः वादकारण के अभाव में वादी का वादपत्र खारिज योग्य है। बहस के दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निम्न दस्तावेज पेश किए :–

- फोटोकॉपी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवान ईश्वर बनाम रामधन, जबाव दावा प्रतिवादी नं. 1 दिनांक 19.12.2003 तथा
- फोटोकॉपी न्यायालय सिविल न्यायाधीश उदयपुरवाटी उनवान हनुमान दत्तक बनाम सहायक अभियंता वगैरह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली व अनावेदक संख्या 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी संख्या 2 फोटोकॉपी मय मौका कमीश्नर रिपोर्ट, मौका विवादित स्थल हालात, मौका, विवादित स्थल फोटो (H4)

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दावा हाजा को लम्बित रखने की नियत से बिना किसी आधार के पेश किया गया है जो खारीज किये जाने योग्य है। वाद कारण किसी एक बिन्दू से तय नहीं किया जा सकता। वादकारण Bundle Of Facts के आधार पर उत्पन्न होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रतिवादी को डिफेन्स पर विचार नहीं किया जा सकता। वादी ने वाद कारण के सब तथ्य अपने दावा में शामिल किये हैं। वादी का दावा वादकारण के अभाव में खारिज होने लायक नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा निम्न दृष्टांत दस्तावेज पेश किए:–

- 2009 Supreme (Raj) 62 2009 AIR (Raj) 142 Gopal Krishan Vyas, J. Loona Ram Alias Babulal vs Rameshwar Lal Civil Revn. Petn. No. 149 Of 2009 Decided on 15-01-2019
- 2011 (2) RRT 1203 Rajasthan High Court Babulal ors vs Board of Revenue ors S.B. Civil Writ Petition No. 6480 of 2011 Decided on 17th May, 2011

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

दौराने बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने आपत्ति जताई कि वादी को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ अतः बिना वाद कारण के दावा विरूद्ध कानून है काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज किया जावे। जवाब में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने कथन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कोई सार नहीं है, यह खारिज योग्य है।

समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया

सहायक कलक्टर
झुन्झुनू

जाता है तथा वादी द्वारा दिनांक 27.08.2018 को प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/10/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (उप.ट्रे.)
झुंझुनूं

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तिम वाद डिक्री

उनवान रामधन बनाम हनुमान वगैरह

मुकदमा **नम्बर** :— राजस्व वाद संख्या 1236/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फा. ट्रे.) झुंझुनूं बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी वादपत्र खारिज किये जाने बाबत् में पारित निर्णय दिनांक 9/10/25 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर वाद वादी खारीज किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 9/10/25 को जारी की गई।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	1
योग	3		

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं